एम.जी.एस.यू. एल्युमनी सोसाइटी, बीकानेर

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नामः—** एम.जी.एस.यू. एल्युमनी सोसाइटी, बीकानेर है व रहेगा।
2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः—** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, एन. एच. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर (राजस्थान) है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. **संस्था के उद्देश्यः—** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1. विश्वविद्यालय और पूर्व विद्यार्थियों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें विश्वविद्यालय की परिकल्पना व लक्ष्य को अपने व्यक्तिगत या व्यवसायिक जीवन में लागू करने हेतु सक्षम करना।
2. पूर्व विद्यार्थियों के लिए आपस में बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करना।
3. विश्वविद्यालय और पूर्व विद्यार्थियों का आपस में सामंजस्य सुनिश्चित करना।
4. पूर्व विद्यार्थी सदस्यों का एक नेटवर्क बनाकर उसे उपयोग में लाना जो विश्वविद्यालय के विकास और वृद्धि में अपना योगदान देकर विद्यार्थियों के सफल करियर बनाने में मदद कर सके।
5. पूर्व विद्यार्थियों के बीच मैत्री पूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करना।
6. विश्वविद्यालय की विकासात्मक गतिविधियों के लिए सहायता और सुविधा प्रदान करना।
7. विश्वविद्यालय में तकनीकी योजना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा समर्थन करना।
8. विश्वविद्यालय के जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं सहायता प्रदान करना, करियर मार्गदर्शन और सतत् शिक्षा को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	Aditya सचिव	Sheskaran कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Saini
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.03.19 07:36:24 IST
Reason: Approved
Location: Bikaner

4. सदस्यता :–	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:– 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हों। 3. पागल, दीवालिये न हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. सदस्यों का वर्गीकरण :–	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :– 1. संरक्षक 2. विशिष्ठ 3. सम्माननीय 4. साधारण
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :–	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :– 1. संरक्षक राशि – 11000/–रू. वार्षिक 2. विशिष्ठ राशि – 5100/–रू. वार्षिक 3. सम्माननीय राशि – 1100/–रू. वार्षिक 4. साधारण राशि – 100/– रू. वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त जमा कराई जावेगी।
7. सदस्यता से निष्कासन :–	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :– 1. मृत्यु होने पर। 2. त्याग–पत्र देने पर। 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर। 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Saini
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.03.19 07:36:24 IST
Reason: Approved
Location: Bikaner

8. साधारण सभा :–	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–	**साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :–** 1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)
10. साधारण सभा की बैठकें :–	1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

Yogesh | Aditya | Sheskaran

अध्यक्ष | **सचिव** | **कोषाध्यक्ष**

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Saini
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.03.19 07:36:24 IST
Reason: Approved
Location: Bikaner

11. कार्यकारिणी का गठन :–	**संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–** 1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष–एक 3. सचिव–एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 5. उपसचिव–एक 6. सदस्य–सात इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 5 पदाधिकारी व 7 सदस्य कुल 12 सदस्य होंगे।
12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–	1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।
13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :–	**संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :–** 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

Yogesh   Aditya   Sheskaran

अध्यक्ष   **सचिव**   **कोषाध्यक्ष**

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Saini
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.03.19 07:36:24 IST
Reason: Approved
Location: Bikaner

14. कार्यकारिणी की बैठकें :—	1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।
15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :—	**संस्था की प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—** **1. अध्यक्ष :** 1. बैठकों की अध्यक्षता करना। 2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। 3. बैठकें आहूत करना। 4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। **2. उपाध्यक्ष :** 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। 2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। **3. सचिव :** 1. बैठकें आहूत करना। 2. कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना। 3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना। 5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6. पत्र व्यवहार करना। 7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों। **4. उपसचिव :** 1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव पद के समस्त कार्य संचालन करना। 2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/सचिव द्वारा सौंपे जावें। **5. कोषाध्यक्ष :** 1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना। 3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देनां 4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

Yogdeep — **अध्यक्ष**　　Aditya — **सचिव**　　Sheskaran — **कोषाध्यक्ष**

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Saini
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.03.19 07:36:24 IST
Reason: Approved
Location: Bikaner

16. संस्था का कोष :–	**संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–** 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। 2. अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।
17. कोष संबंधी विशेषाधिकार :–	**संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।** 1. अध्यक्ष–दो लाख रू. 2. सचिव–एक लाख रू. 3. कोषाध्यक्ष–पचास हजार रू. उपर्युक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।
18. संस्था का अंकेक्षण :–	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्था को प्रस्तुत करने होंगे।
19. संस्था के विधान में परिवर्तन :–	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20. संस्था का विघटन :–	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्था को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :–	रजिस्ट्रार संस्था बीकानेर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण / जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) एम.जी.एस.यू. एल्युमनी सोसाइटी, बीकानेर की सही व सच्ची प्रति है।

Aditya Sheskaran

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Aditya Sheskaran

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Saini
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.03.19 07:36:24 IST
Reason: Approved
Location: Bikaner

आम सभा

आज दिनांक 04.03.2021 को हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के भूतपूर्व विद्यार्थियों ने एकत्रित होकर एक संस्था बनाने का विचार किया तथा बहुमत से उसका नाम एम.जी.एस.यू. एल्युमनी सोसाइटी, बीकानेर रखने का मत पारित किया गया। यह संस्था विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काम करेगी। आम सभा में संस्था का पंजीकरण करवाना तय किया गया तथा आपसी सहमति से पदाधिकारीगण सदस्यता आदि पर विचार किया गया तथा बहुमत से संस्था का एक विधान पारित किया गया।

बहुमत से इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य पारित किये गये :–

1. विश्वविद्यालय और पूर्व विद्यार्थियों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें विश्वविद्यालय की परिकल्पना व लक्ष्य को अपने व्यक्तिगत या व्यवसायिक जीवन में लागू करने हेतु सक्षम करना।
2. पूर्व विद्यार्थियों के लिए आपस में बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करना।
3. विश्वविद्यालय और पूर्व विद्यार्थियों का आपस में सामंजस्य सुनिश्चित करना।
4. पूर्व विद्यार्थी सदस्यों का एक नेटवर्क बनाकर उसे उपयोग में लाना जो विश्वविद्यालय के विकास और वृद्धि में अपना योगदान देकर विद्यार्थियों के सफल करियर बनाने में मदद कर सके।
5. पूर्व विद्यार्थियों के बीच मैत्री पूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करना।
6. विश्वविद्यालय की विकासात्मक गतिविधियों के लिए सहायता और सुविधा प्रदान करना।
7. विश्वविद्यालय में तकनीकी योजना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा समर्थन करना।
8. विश्वविद्यालय के जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं सहायता प्रदान करना, करियर मार्गदर्शन और सतत् शिक्षा को बढ़ावा देना।

उपस्थित सदस्यगण

Harmandeep
Jaspreet Singh
Nishant
Devanshi
Ravi
सविता चांवरिया
Aditya
Sorav
Sweta
Priyanka
भगवती चौधरी

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Kumar Saini
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.03.19 07:36:24 IST
Reason: Approved
Location: Bikaner

अनापत्ति प्रमाण पत्र

एम. जी. एस. यू. एल्यूमनी सोसाइटी बीकानेर (संस्था का पूरा नाम) रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में संस्था /संस्थान/समिति/सोसायटी का पूर्ण पता महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, N 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर - 334004 (राजस्थान) दिया गया है। यह स्थान मेरे स्वामित्व का है। प्रस्तावित संस्था/संस्थान/समिति/सोसायटी यदि इसे अपने कार्यालय के पते के रूप में इस्तेमाल करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह हमारी सहमति से इकरार हुआ है।

REGISTRAR
M.G.S. UNIVERSITY
BIKANER
हस्ताक्षर

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Kumar Saini
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.03.19 07:36:24 IST
Reason: Approved
Location: Bikaner